

संख्या : 2828 / १-१०-२०१३-१२(६) / १३

प्रेषक,

एल० वैंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : १९ अगस्त, २०१३

विषय: इलाहाबाद जनपद में गंगा एवं यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बन्धे में भीषण कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र संख्या-१२२११ / १३-१४-२०१३, दिनांक-२२.०७.२०१३, जो आपको भी पृष्ठांकित है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में गंगा एवं यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित बन्धे में भीषण कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजना हेतु रु ५९,३४,०००/- लाख की धनराशि आगणित/प्राककलित की गयी है। अतः प्रश्नगत मामले में मांगी गई कुल धनराशि रु० ५९,३४,०००/- के सापेक्ष सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद के उक्त अनुमोदित कार्य/परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त के रूप में ५० प्रतिशत धनराशि अर्थात् वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० २९,६७,०००/- (रुपये उन्तीस लाख सरसठ हजार मांत्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

३. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस मरम्मत मद में धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदाचि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं० २६६० / १-१०-२०१२-रा-१०-३३ (१७१) / २०१२, दिनांक २५ अक्टूबर, २०१२ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरायित्व सम्बन्धित

कार्यदायी विभाग /जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पी०एस०आ०/२०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं० २७८५/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८ दिनांक १४.१०.२०११ के अनुसार किया जायेगा। उक्त २७८५/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८ दिनांक ०५.०७.२०१३ जिसके साथ के अतिरिक्त शासन के पत्र सं०-३१७/१-११-२०१३, दिनांक २१.०६.२०१३ को संलग्न किया भारत सरकार के पत्र संख्या-३२-३/२०१३-NDM-१, दिनांक २१.०६.२०१३ को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक ०१.०३.२०१३ से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपेक्षा निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीड़ी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अंपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-१६९३/१-११-२००५-रा०-११, दिनांक २० जून, २००५ द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की ०५ तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०३०-२/ १-११-२०१३-रा०-११, दिनांक ०४ मार्च, २०१३ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्व शासन को नियमानुसार सर्वप्रित कर दिया जाये।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तापुरितका खण्ड-5 भाग-1
प्रस्तर-369 इच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2828(1) / 1-10-2013-12(6) / 2013 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
 - 2- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
 - 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
 - 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
 - 8- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
 - 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
 - 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
 - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
16/११/११
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।